

मूल वाद में अन्तिम डिक्री

अज अदालत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दीगोद जिला कोटा

1. शोनू मेहरा पुत्र श्योराम जाति मेहरा उम 34 वर्ष निवासी भौरा तहसील दीगोद जिला कोटा

(वादी)

बनाम

राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार दीगोद जिला कोटा

(प्रतिवादी)

वादी की ओर से :- श्री बृजमोहन मालव एडवोकेट

वाद अन्तर्गत धारा 88,89 आरटीएक्ट

मिसल नम्बर 26/2026

यह मुकदमा आज वारसे इनफिसाल कतई रु-ब-रु मुझ दीपक महावर आर. ए.एस बहाजिरी मिनजानिब मुददई रुबरु मिनजानिब मुददालयह न्यायालय में पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वाद वादी स्वीकार किया जाकर ग्राम भौरा पटवार हल्का भौरा तहसील दीगोद जिला कोटा में वादी के खाते खाता संख्या नया 188 व पुराना खाता संख्या 147 पर खसरा नम्बर 180 रकबा 0.2000 हैक्टर खसरा संख्या 345 रकबा 0.8900 हैक्टर खसरा संख्या 390 रकबा 1.2100 है0 कुल 3 किता रकबा 2.3000 हैक्टर भूमि में वादी का नाम शोनू पुत्र श्योराम के स्थान शोनू उर्फ शोनू पुत्र श्योराम दर्ज किये जाने व राजस्व रिकार्ड में दुरुस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते है। तदनुसार डिक्री जारी की जाती है। यह आज तारीख 24.09.2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुदई	रुपये	पैसे	मुदालयह	रुपये	पैसे
स्टाम्प	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी	0	0
स्टाम्प वजूह	0	0			
सबूत			महन्ताना	0	0
महन्ताना	0	0	वकील		
वकील			खर्चा गवाहान	0	0
खर्चा गवाहान	0	0	बबत इजराय	0	0
बबत इजराय	0	0	हुक्मनामा		
हुक्मनामा			मुत0	0	0
मुत0	0	0	मिलान	0	0
मिलान	0	0			